**प्रेस नोट– सेवानिवृत्ति**
**दिनांक– 28.02.2025**

**जनपद पुलिस से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले 01 उपनिरीक्षक व 02 मुख्य आरक्षी हुए सेवानिवृत्त, पुलिस लाइन स्थित सभागार में क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा शॉल व फूल–माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामनाएं–**

आज दिनांक 28.02.2025 को जनपद गोण्डा पुलिस से 01 उ0नि0 व 02 मुख्य आरक्षी अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान पुलिस लाइन स्थित सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल व फूल–माला पहनाकर, छाता व अन्य धार्मिक पुस्तके भेंट करते हुए विदा किया गया। महोदया द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों से सेवानिवृत्त होने पर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये योगदान की सराहना की गयी एवं सेवानिवृत्ति उपरांत भी पुलिस विभाग का यथासंभव सहयोग करने की अपेक्षा की गयी तथा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।
**इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक(चार्जभार) श्री रामजी यादव एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के परिवारीजन मौजूद रहे।**

**सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण–**
01.उ0नि0ना0पु0 श्री दिल मोहम्मद
02.मु0आ0 श्री सुरेशचन्द्र।
03.मु0आ0 श्री विजय कुमार सिंह।

**मीडिया सेल गोण्डा।**

**प्रेस नोट**

**दिनांक 28.02.2025**

## 24 घण्टे के अन्दर थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जिला अस्पताल से गायब बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया गया सुपुर्द–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–151/25, धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अपहृत बच्चे को केशवपुर पहाड़वा से सकुशल बरामद कर लिया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 27.02.2025 को थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि वह अपने 03 वर्षीय बच्चे के साथ दवा कराने जिला अस्पताल गोण्डा आयी हुई थी। जहां से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके बच्चे को चुरा लिया गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेकर बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिसमें आज दिनांक 28.02.2025 को पुलिस टीमों द्वारा किए गए अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत गायब बच्चे को 24 घण्टे के अन्दर केशवपुर पहाड़वा से सकुशल बरामद किया गया। गायब बच्चे को नियमानुसार उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। बच्चे को पाकर मां के चेहरे पर मुस्कान आयी तथा गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

### बरामद कर्ता टीम–

01. उ0नि0 आलोक कुमार राय मय टीम।
02. म0उ0नि0 पूजा वर्मा एण्टी रोमिया टीम।
03. म0का0 सीमा वर्मा।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 28.01.2025**

## ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैरइरादतन हत्याभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 50,000/– रू0 के अर्थदण्ड की सजा–

दिनांक 06.09.2020 को थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत दो भाईयों के बीच मकान बटवारें की बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें बीच बचाव करने आये पिता मोहरमणि पाण्डेय को उनके छोटे बेटे बृजेश पाण्डेय द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था। जिनकी जिला अस्पताल गोण्डा में ईलाज हेतु लाते समय मृत्यु हो गयी थी। मृतक के बड़े बेटे अजय कुमार पाण्डेय की तहरीर पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें इटियाथोक पुलिस द्वारा अभियुक्त बृजेश पाण्डेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 विजय बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 21.10.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

### दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना इटियाथोक के मु0अ0सं0–310/20, धारा 304,323 भादवि में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, अभियोजक श्री अवनीश धर द्विवेदी, थाना इटियाथोक के पैरोकार के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त बृजेश पाण्डेय को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

### अभियुक्त का नाम पता–

01. बृजेश पाण्डेय पुत्र स्व0 मोहर मणि पाण्डेय नि0 पण्डितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–310/2020, धारा 304,323 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**